भारत सरकार/Government of India परमाण् ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र/ Variable Energy Cyclotron Centre

1/एएफ., बिधान नगर, कोलकाता-700064 1/AF Bidhan Nagar, Kolkata-700064

सं/Ref:वीईसीसी/VECC/प्रशा/Adm/सीएचएसएस/CHSS/2018/ 316 ी दिसंबर/December 10, 2018

स्चना / Notice

विषय : सीएचएसएस कार्ड की दूसरी प्रतिलिपि जारी करने हेत् रिकवरी शूल्क के संबंध में।

Sub: Recovery charges for issuing duplicate CHSS Cards.

उपरोक्त विषय पर पऊवि के दिनांक 04.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/3/2017/IR&W/15103 की एक प्रति संलग्न है।

A copy of DAE Office Memorandum No.7/3/2017/IR&W/15103 dtd. 04.12.2018 on the above subject, is enclosed.

इस केंद्र के सभी कार्मिक उक्त कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सूचनार्थ हेतु कृपया नोट करें।

All the employees of this Centre may please keep note of the content of the Office Memorandum for their information.

अपिन केगीट पीर्ग (ए. के. पात्रा / A. K. Pattra) सहायक कार्मिक अधिकारी/Asst. Personnel Officer

सभी स्चना पट्ट / All Notice Boards :



(198022-22862703) इं-पेलe-mail-<u>irw@dae.gov.in</u> फैक्सFax No. - 2204 8476 &22824354



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY औ. सं. एवं क. अनुभाग हिस्स्स SECTION



अणुशक्ति भवन AnushaktiBhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबईMumbai - 400001

सं. No. 7/3/2017/IR&W/ 15/03

दिसंबर December 4, 2018

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय :सीएचएसएस कार्ड की दूसरी प्रतिनिपि जारी करने हेतु रिकवरी

शुल्क के संबंधमें।

Sub: Recovery charges for issuing duplicate CHSS cards

सीएघएसएस के अनुच्छेद 17.4 के अनुसार, पऊवि के दिनांक 30.3.2016 के कार्यालय जापन सं. 7/4/2015/आईआरएंडडब्ल्य/4342 के अंतर्गत कार्ड के गुमजाने, न मिलने और कट-फट जाने (सदस्यता के जारी न रहने पर कार्ड को न जमा करने सिहत) पर सीएघएसएस कार्ड को फिर से जारी करने के लिए शुल्क स्वरूप राशि ली जाएगी।

In term of Clause 17.4 of CHSS, the amount to be charged for re-issue of CHSS cards, in case the card is lost (including non-surrender of the cards on discontinuance of the membership), misplaced and mutilated, was revised vide DAE OM no. 7/4/2015/IR&W/4342 dated 30.3.2016.

2. विभागीय परिषद की बैठक में स्टाफ साइड से पऊवि के दिनांक 30.3.2016 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सीएचएसएस काई की दूसरी प्रतिलिपि जारी करने हेतु अधिस्चित दरों की समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया। सीएचएसएस समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर विभाग में सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद अब तत्काल प्रभाव से निम्नवत शुल्क संशोधित करनेका निर्णय लिया गया है:

Request has been received from the staff side in DC meetings to review the rate notified for issue of duplicate CHSS cards vide DAE OM dated 30.3.2016. After careful consideration in the Department, based on the recommendations of the CHSS Review Committee, it has now been decided to revise the charges with immediate effect as follows:

सं.	विवरण	शुल्क
No.	Particulars	Charges
1.	सीएचएसएस काई का गुमना (सदस्यता के जारी न रहने पर काई को न	₹300/-
	जमा करने सहित) अथवा न मिलना। Loss of CHSS card (including non-surrender of cards on discontinuance of membership) or misplacement. * पुलिस भें दर्ज शिकायत की एक प्रतिआवेदन के साथ संलग्न की जाए। A copy of the police complaint lodged has to be accompanied with the	
2.	application कार्ड के जारी होने के 5 वर्षों के भीतर कार्ड के कट-फट जाने पर Mutilated CHSS Card, within a period of 5 years of its issue	₹250/-
3.	Mutilated CHSS Card, Within a period or 3 years of ite early कार्ड के जारी होने के 5 वर्षों के बाद कटे-फटे सीएचएसएस कार्ड (पेपरकार्ड) हेतु Mutilated CHSS Card (paper card), after a period of 5 years of its	शून्य NIL
	issue	

इसे सचिव, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This is issued with the approval of Secretary, DAE.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सभी सीएचएसएस के प्रशासनिक प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities :